बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

<u>आदेश</u>

आ सं0:–28/स्था0–01–01/2021 पटना, दिनांक..................

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–4266 दिनांक–14.10.2022, स्वीकृत्यादेश सं0–4267 दिनांक–14.10.2022 में निहित प्रावधान तथा अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–19.03.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में गैर आरक्षित वर्ग के तहत **श्री आलोक कुमार, सेवानिवृत (भा0 प्र0 से0), अपर सचिव, बिहार विकास मिशन, पटना** को जल संसाधन विभाग अंतर्गत **भू–अर्जन विशेषज्ञ** के पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियोजित किया जाता है :–

1. यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः 01 (एक) वर्ष अथवा इनकी उम्र 65 (पैंसठ) वर्ष पूरी होने की तिथि तक जो पहले हो, के लिये होगा। यह नियोजन आवश्यकतानुसार कार्यों की समीक्षा के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

2. आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर योगदान नहीं करने की स्थिति में यह नियोजन स्वतः रद्द हो जायेगा।

3. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (मूल में) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं उस पर तत्समय देय मंहगाई भत्ता के योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवानिवृत्ति की तिथि को देय मंहगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा।

5. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण मामलों के अनुश्रवण एवं समन्वय, विभागीय परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/संरक्षण एवं विभिन्न विभागों से भूमि हस्तांतरण मामलों के समन्वय आदि कार्यों का निष्पादन आपके द्वारा किया जायेगा। साथ ही भू–अर्जन विशेषज्ञ से अपेक्षा की जायेगी कि विभाग के अंतर्गत भू–अर्जन एवं सतत् लीज पर भूमि अधिग्रहण के कार्य लंबित रहने के कारण, लंबित परियोजनाओं से संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर कार्य को त्वरित गति प्रदान करेंगे। आवश्यकतानुसार क्षेत्र का भ्रमण कर भू–अर्जन एवं सतत् लीज पर भूमि अधिग्रहण के लंबित कार्यों के संबंध में समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि अर्जन/सतत लीज के लंबित कार्यों में गति लाना सुनिश्चित करायेंगे। इस क्रम में आवश्यकतानुसार अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे।

P.T.O

6. सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान विपत्र कोड – 49 – 3451000900009, विषय शीर्ष – 2802, संविदा सेवायें (सिर्फ संविदा कर्मियों हेतु) में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. आकस्मिक अवकाश के साथ–साथ सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

8. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेगें और सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होगें। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमित करने का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9. पुनर्नियोजन नहीं होने की स्थिति में अनुबंध समाप्ति की तिथि को यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा एवं इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

10. कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में एक माह की नोटिस पर संविदा नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

11. नियोजित पदाधिकारी एक माह के पूर्व नोटिस पर संविदा नियोजन को स्वेच्छा पूर्वक समाप्त कर सकेंगे।

12. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जानेवाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जाएगा। नियोक्ता के तरफ से संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा एकरारनामा की कार्रवाई सम्पन्न की जायेगी।

ह0/–
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – पटना/दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – पटना/दिनांक –

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 1765 पटना, दिनांक– 2/4/26

प्रतिलिपिः–सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ श्री आलोक कुमार, मित्र मंडल कॉलनी, सेक्टर–B, (Near MM Enclave Apptt.), अनीसाबाद, पटना, पिन नं०-800002, मो0 नं0–9431050075/कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी स्तर तक) जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Umesh
2.4.2026
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव